डा० भाई महावीर : One last thing. नेशनल इन्टीग्रेशन कौंसिल की बात लाई गई। एक अत्यन्त इर्रेलेवेन्ट और असंगत प्रश्न नेशनल इन्टीग्रेशन के साथ जोड़ा गया। उसमें सिर्फ एक मतलब था कि चूंकि उस कौंसिल का मैं मेम्बर हूं, इस वास्ते मेरे नाम पर कुछ भी हो उसको घसीट कर यहां ला सकते हैं। मेरा निवेदन है कि नेशनल इन्टीग्रेशन कौंसिल की कार्यवाही भी ठीक चले, इसके लिए जरूरी है कि हम मजहबी स्थानों को बराबर मान्यता दे कर चलाएं। लेकिन अगर एक का नाम लेना फिरकापरस्ती होगी और दूसरे का नाम लेना सेक्युलरिज्म, तो इस तरह का सेक्युलरिज्म कुलकर्णी साहब को मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए।

SHRI A. G. KULKARNI : Sir, .. .

MR. CHAIRMAN : No, no. No explanation fron you. I have not asked you to give .- ny explanation.

SHRI A. C . KULKARNI : Sir, I may be allov ed...

MR. CHAIRMAN : No, no. He has said nothing ..gainst you. He has only raid " Mr. K alkami said this".

[THE VICE-* CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI *KUAN)* in the Chair.]

THE MED CAL TERMINATION OF PREGNANCY BILL, 1969

Motion for reft 'ence to joint committee of the 'inuses—contd.

THE VnE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI] ;HAN) : Mr. Rizaq Ram I think you h ,ve already spoken yesterday.

श्री रिजकराम (हरियाणा) : मैं दो तीन मिनट और बोलना चाहता हूं। मैं अर्ज कर रहा था कि जो विधेयक इस वक्त सदन के सामने है, उसमें इस देश की सामाजिक परिस्थितियों का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं यह मानता हूं कि आज के हालात में बहुत से योरोपियन कंट्रीज में आबार्शन को अपनाया गया है और बहुत से देशों में इसके बारे में कानून बनाये गये हैं, लागू किये गये हैं, जिनमें गर्भपात की इजाजत कुछ हालतों में दी गयी है। इंग्लैंड में भी जैसा कि हमारे इस मौजूदा बिल में है, दो मेडिकल प्रेक्टिशनर्स के दस्तखत करने पर गर्भपात की अनुमति मिलती है। लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज सोचने के लिए और विचार करने के लिए एक और भी परिस्थिति है कि फैमिली प्लानिंग और गर्भपात में अनुमति देने का कानून दूसरे देशों में बना, इस देश में भी फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम एक अरसे से और बड़े जोर से चला है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इस अरसे में जितनी आबादी बढ़ी है, उसकी तुलना अगर पिछले दस सालों से की जाय, तो पता चलेगा कि वह ज्यादा रही है इस अरसे में। इसके जो वजूहात हैं उनको भी हमें देखने की आवश्यकता है। महज ऐसे मसनुई कायदे कानूनों से अगर हम बढ़ती हुई आबादी को रोक सकें, यह संभव नहीं है। वह वजूहात और कारण जिनकी वजह से आबादी में इतनी तेजी से इजाफा हो रहा है, उसकी तरफ भी वाइस चेयर-मैन साहब सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज हम देखते हैं कि इस दस साल के अरसे में दो फीसदी या इसके लगभग आबादी में इजाफा हुआ है, देश की ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया की आबादी में और सारे देशों में फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम, परिवार नियोजन का प्रोग्राम तेजी से चला है। तो इसका कारण क्या है? मैंने मंत्री महोदय की लिखी हुई किताब पढ़ी है आबादी के मसले पर और उन्होंने बड़े विस्तार के साथ उस पर लिखा है। मैं उनके विचारों से बहुत हद तक सहमत हूं। उन्होंने अपनी पुस्तक में भी जिक्र किया है कि आबादी के बढ़ने के कई सामाजिक कारण हैं। समाज में जो परिवर्तन हुए हैं उनका असर भी आबादी के बढ़ने पर पड़ा है। जो समाज के बंधन थे, जो नियम थे, जो उसकी मान्यतायें थीं, जिस तरीके से परिवार आपस में रहते थे और आपस में जोड़े जिस तरह से व्यवहार

[श्री रिजकराम]

करते थे, हमारे सेक्स के जो व्यवहार थे, उनका ताल्लुक आबादी के बढ़ने और घटने से है। इस थोड़े अरसे में दूसरे देशों में भी और अपने देश में भी जितना फैमिली सिस्टम डिसइंटीग्रेट हुआ है, उसकी वजह से भी आबादी बढ़ी है और जिस ढंग से आज हमारे अपने सामाजिक व्यवहार में जो जो तब्दीली आयी हैं, उसकी वजह से भी हमारी आबादी बढ़ी है। तो मैं इस बात को मानता हूं कि परिवार नियोजन का प्रोग्राम और जो विधेयक आज हमारे हाउस के सामने है, इस तरह का कायदा किसी न किसी शकल में हमको लाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ ही यह नहीं भूलना चाहिए कि समाज में जो कुरीतियां बढ़ती जा रही हैं, अगर उनको हम नजरअंदाज कर के महज कानूनों पर चलेंगे, तो इसका इलाज नहीं हो सकेगा। आखिर इस देश का एक प्राचीन इतिहास है। अगर उसको आप देखें और उसके जो नियम और आस्थायें उस समय थीं जो समाज ने उस समय बनाये थे, अगर उनको नजरअंदाज कर के इन कानूनों का सहारा ले कर हम सोचें कि हम इस बढ़ती हुई आबादी पर रोक लगा सकेंगे, तो पूरी सफलता मिलनी हम को मुमकिन नहीं है। एक बात तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि गर्भपात के जो तरीके आज देश में हैं या होने वाले हैं, उनमें भी माताओं की जिन्दगी को बड़ा खतरा है। उनके शरीर को बड़ा कष्ट हो सकता है। अभी मंत्री महोदय ने पढ़ा ही होगा और उनको इल्म भी है, अभी कलकत्ते के एक अस्पताल की रिपोर्ट आयी और उसमें हमने पढ़ा कि जो स्टिरिलाइजेशन आपरेशन्स उस अस्पताल में 1100 के करीब हुए, जिनमें से 400 के करीब माल-एडजस्टमेंट और दूसरी बीमारियों के शिकार थे उनकी मौतें हुईं। तो गर्भपात के सिलसिले में यह सोचना कि यह एक ऐसा इलाज है कि इसमें कोई तकलीफ या कष्ट नहीं होगा, ठीक नहीं है। यह ऐसी आसान बात नहीं है। इसमें बड़ी सावधानी की जरूरत है, बड़े खर्च की जरूरत है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां वह इस विधेयक को सदन के सामने लायें हैं, वहां वे इस बात पर भी गौर करें कि आज जो समाज में कुरीतियां बढ़ती जा रही हैं और आज समाज का जो ढंग है, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, जो हमारी एक सोशल फैमिली एजूकेशन थी, उसका एक सिस्टम था उसको रिवाइज करने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं ताकि एक ऐसा वातावरण बने कि जिसमें आपस का सेक्स का व्यवहार ठीक से नियमित हो जाय और समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

SHRI P. G. MITRA (Bihar) : Mr. Vice-Chairman, I heard with great attention the speech of the honourable Minister who moved the Bill. In the course or his speech he said that more than 3 million abortions are taking place, more often at the hands of quacks, every year. I would like to know from him how these statistics have been obtained by him. If abortions are done illegally, then, how have these figures come to the notice of the Minister ? In how many cases has action been taken for illegal abortions ?

In regard to the objects of the Bill it has been stated here that the proposed measure which seeks to liberalise certain existing provisions relating to termination of pregnancy has been conceived (i) as a health measure— when there is danger to the life or risk to physical or mental health of the woman ; (a) on humanitarian grounds—such as when pregnancy arises from a sex crime like rape or intercourse with a lunatic woman, etc., and (3) eugenic grounds— where there is substantial risk that the child, if born, would suffer from deformities and diseases. Nobody can have any objection if in fulfilment of these objects any legislation is brought forward. But in the Bill we find that if any unmarried girl, who has not yet attained

the age of 18] ears, having become pregnant, wants i J undergo abortion, her pregnancy can >c terminated by ths consent of the fath .r or the guardian of that girl. In the same way in the case of an unmarried girl >vho has attained the age of 18 years, if s IC gives consent, abortion can take place But I do not find that the objectives mentioned in the Statement of Objeci i and Reasons have been met by the provisions actually made in the Bill. I am ifraid this measure is not for arranging {ood hospitals for women who want to undergo abortions, but actually it is 1(jalisiug abortion ; otherwise, for what ;lsc have these provisions been kept here ? Besides, even where a pregnancy occu #s as a result of the failure of any dt vice used by a married woman or hua tend for the purpose of limiting the r, imber of children, even such unwanted negnancy should be presumed to constilu e a grave injury to the menta health of the pregnant 3 P. M. womai.. Its scope has been expanded to uch an extent that abortion will be asked fc r by many presons. Any husband wantin f to limit his children can ask for abortii n. On the whole I do not think it is a amily planning measure and the hon. I linistcr also will not take the stand that it is a family planning measure as has been tried to be enunciated by Shri Sh -el Bhadra Yajee. Perhaps he did not go through the Bill. He was simply asked t< speak and so he thought tliat it was a family planning measure. But that is no so. This measure which Government w.nts to legislate liberalises, abortion ; ther; will be no restrictions ; only a certificate from a Registered Medical Practitioner or in certain cases two Practitioners v ill suffice. I think it is not very diffic lit to get any certificate from any met ical officer to the effect that the wife' mental health may be affected, apart from physical health, if abortion is no done.

Therefore, I support this motion for circulating tin Bill for public opinion but at the sam lime there is a view thai instead of pubic opinion the Select Committee may ;onsider all the pros and cons of the £11 thoroughly. I am not very much intei cstcd in sending the Bill for public opinion, because wc have seen that the public scldoi n takes much interest in any Bill when it is circulated. Therefore I do not oppo e the reference of the Bill to the Joint Committee- but I would request the hon Minister as well as the Members of "he Select Committee t0 go through the provisions of the Bill thoroughly so that this may not result in legalising corruption. Thank you.

SHRI M. RUTHNASWAMY (Tamil Nadu) : Mr. Vice-Chairman, I am glad to have this opportunity of registering my protest against the very piinciple of this Bill. First of all I do not know why the word 'abortion' was not used in the title of the Bill and why this circumlocutory phrase 'termination of pregnancy' has been used. Sir, 'abortion* is a weil-known word; everybody knows it. But this circumlocutory phrase has been used, I suppose to break the impact of the blow of this Bill.

An argument has been advanced by the Minister that the provision against abortion in the IPC was not liberal enough because under the IPC abortion was made a ' crime for which the mother as well as the abortionist could be punished except where it had to be induced in order to save the life of the mother. The provision of the I. P. C one can understand but here the Minister contemplates liberalisation of abortion as a health measure not only when there is danger to life but also danger to physical or mental health of the woman, and also on humanitarian grounds. Well, Sir, mental health is a very vague term. Some people say that men generally suffer from various degrees of insanity, one is very mad or mildly mad, or near mad and so on. So this gives room for a very great degree of liberalisation, because anyting might be mental health, anything might be mental ill-health, anything might be supposed to be ou humanitarian grounds.

The agrument put forward is tliat the mother lias the right to her life and has the right to terminate the pregnancy, which means terminating another life which has already begun; life has already begun in the womb of a woman when she conceives and the embryo grows; there is life already. So the Bill gives her a right to terminate the life of her unborn child. Why should she have this right to preserve her own life and to end the life of the child? Why should it stop at that? The logical conclusions is that she would have the right to terminate the life of the child after birth; it is only a higher degree of life than that which is "in the womb. Sir, a distinguished Judge, Mr. Justice Aitkin, said at a meeting of the Medical Legal Society of London some

[Shri M. Ruthnaswamy]

years ago. "If she does possess the right to terminate the life of the child, when does it cease?'* At birth? "Why should it cease at birth? When it is in the womb, it is in an embryonic stage. Why not terminate the life of the child when it is born ? When she has this right, she can terminate life at any time, she may have the right to euthanasia, when her life ceases to be comfortable, when it ceases to be worthwhile; she can even commit suicide.

Another argument advanced by the Minister is that it is another step forward for the control of population. Now does it mean that all the other methods have failed? Abortion is a reflection on the efficacy of all the other methods that have been used for controlling the population, the condoms, the contraceptives, etc. Because they have failed, the Minister resorts to this extreme measure of abortion, and even supposing it serves to control the population, what is our experience in regard to the methods of controlling the population that have been used so far? These methods have been used for a period of io years and what is the result? According to Government's own figures about 2 million births have been stopped as a result of these methods, 2 million out of a population of 550 millions.

How many years, how many centuries would it take to bring about a state when the population can be controlled in the interests of • • .

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (DR. S. GHANDRASEKHAR): May I correct the hon. Member ? The figure is 15 million.

SHRI M. RUTHNASWAMY : Fifteen million. Even so how long will it take to reduce the population to any considerable extent? If it has taken ten years to control the population by 15 Million, it would probably work out to 1J million a year. Is that going to slove your problems, the problem of hunger, the problem of scarcity, the problem of economic backwardness? In fact, Sir, I think, like other measures of family planning this measure also is a counsel of despair, a counsel of desperate action. It is an alibi put forward by the Government for the failure of all its plans, for the failure of all its measures towards the improvement of the economic lot of the people, towards tackling the illiteracy of the country, towards raising the *per capita* income or the country. It is slow progress everywhere, in every direction, in the building of roads which will lift the economy of the village from the subsistence economy in which it is at present to the market economy which will advance the prosperity of the country. Many a Ministry in the Union Govern ment must have looked upon the Minis ter of State for health as god send who will come to their help in regard to the backwardness, in regard to the little progress made by the Education Minis try, by the Food Ministry, by the Health Ministry. They can all say how that the Minister of State says that the large population is so great that we cannot do any ting. So it is only by reducing the population through these cheap and unorthodox methods that you hope to bring about economic progress of the country. Because you have failed in all your economic measures and developmental measures, because you have failed to achieve any substantial economic pro gress, now you resort to this method. Therefore, Sir, on moral grounds, on economic grounds, I think this Bill will not serve the purpose it has in view and by your liberalising abortions it will throw open the gates to immora lity, throw open the gates to vice, as has been found elsewhere. Russia tried abortion for some time in the early period of its new regime but has since been forced to give it up. Japan has tried it and Japan also regets having resorted to this extreme measure of controlling population. So I think it is not in the interests of the country, is not in the interests of morality and not in the interests of the economic and social progress of the country that this Bill has been conceived, and I register my protest against it.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, वास्तव में हमारे पूर्ववक्ता महोदय ने इस विधेयक के नामकरण की जो बात कहीं मैं उनसे सहमत हूं । गर्भपात को कानूनी करार दिया जाय, यह इस विधेयक की मन्शा होनी चाहिए और है भी । माननीय मंत्री जी इस मन्शा को साफ साफ व्यक्त करने से डरते हैं और यही कारण है कि इस सरकार के द्वारा जितने विधेयक आते हैं, सब अधूरे

रह जाते हैं और अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। मगर जो तर्क हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने दिये, मैं उनके तर्कों से सहमत नहीं हूं। कुछ प्रश्न उठते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर होना चाहिये। गर्भपात को कानून की निगाह में सही माना जाये या नहीं। यह सब रिग-मरोड़ बेकार है। यानी, यह सरकार स्वतः अपने कानून की बारीकियों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। इस कानून की तह में जैसे अंग्रेजी राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ता था, उसी तरह से इसमें भी भ्रष्टाचार बढ़ेगा और बहुत से लोग झूठ बोलेंगे और अपने पापों को छिपाने के लिये साजिश करेंगे, कुछ लोग कहेंगे संतान रोगी पैदा होगी या लंगड़ी पैदा होगी। सीधे सीधे, साफ साफ प्रत्यक्ष रूप में, सरकार को आना चाहिये कि सरकार आज की स्थिति को देखते हुए गर्भपात को कानूनन सही मानती है।

श्रीमन्, रूस में जब क्रांति हुई हमारे मित्र भूपेश गुप्त जानते होंगे, उस समय की सामाजिक समस्याओं का भी काफी वर्णन और उनका हल मार्क्स ने भी किया है, लेनिन ने भी किया है। तो श्री भूपेश गुप्त को ग्लास वाटर थ्योरी की जानकारी होगी।

श्री निरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश) : सब बातों की थोड़े हो सकती है।

श्री राजनारायण : उसको लेकर के बड़ा झगड़ा हुआ है रूस में। यहां तक कि लेनिन को कहना पड़ा है, उसका अंग्रेजी अनुवाद तो हमको याद है : "Unbridled sexual life is bourgeoisie" यह लेनिन का वाक्य है। उसने कहा है कि अनियंत्रित कामलिप्सा का जीवन पूंजीवादी जीवन है, वह समाजवादी जीवन नहीं हो सकता। मैं उनके वाक्य से पूर्णतः सहमत हूं। जब ग्लास वाटर थ्योरी को लेकर नव युवकों में हल-चल हुई और उन्होंने कहा कि जहां जिस औरत को पाओ वहां उसके साथ भोग करो, तो लेनिन ने बड़ा डांटा है और फटकार दिया है, यह तुम्हारा चरित्र समाजवादी है। समाजवादी जीवन नियंत्रित हो, वह अपने को काबू में रखेगा और अच्छा तुम समाजवादी हो—हम लेनिन के वाक्य को दोहरा रहे हैं—तुम जिस किसी औरत को हरी साड़ी में देखते हो, तुम हीं हीं करते दौड़े जाते हो, यह बिलकुल गलत है, तुमको यह काम नहीं करना चाहिये, हां, जो पूंजीवादी और पूंजीपति हैं वह चार औरतें रख सकता है, वेश्यागामी हो सकता है। (श्री भूपेश गुप्त को सदन से उठ कर बाहर जाने से रोकते हुए) अब आप बैठिये, समाजवाद हवा में नहीं आयगा, समाजवाद वह दर्शन है जो जीवन के सब अंगों को छूता है, वह केवल अर्थवादी नहीं है। समाजवाद जीवन के हर अंगों को छूता है, सामाजिक स्थिति कैसी हो, व्यक्ति का चरित्र कैसा हो, व्यक्ति व्यक्ति का संबंध कैसा हो, राजनैतिक स्थिति कैसी हो, सभी चीजों को समाजवाद अपने में समाविष्ट करता है। इसीलिये समाजवाद गतिशील है। Socialism is the sum total of human knowledge समाजवाद मानव ज्ञान विज्ञान, अनुभव का जोड़ है। अगर 1848 कम्युनिस्ट मैनिफस्टो को ही पढ़ कर भूपेश गुप्त समाजवाद को देखेंगे तो समाजवाद पर बैठ जायेंगे, समाजवाद पर खड़े नहीं होंगे। मैं चाहता हूं यह समाजवाद पर बैठे न, समाजवाद पर खड़े रहें। मगर मैं दिल खोल कर आज इस पर बोलना चाहता हूं। हमारे मित्र मौरेलिटी शब्द को न लाये होते तो हम शायद अपने को रोक लेते। मौरेलिटी क्या है, नैतिकता क्या है, सदाचार क्या है, इसकी परिभाषा क्या है ?

इस सदन में चर्चा हुई कि क्या सदाचार है, क्या नैतिकता है और क्या सत्य है तथा क्या झूट है, तो इसमें बड़ा विवाद हुआ है। मैं समझता हूं कि श्री भूपेश गुप्त गलत नहीं समझेंगे; क्योंकि उनके यहां मौरेलिटी की एक परिभाषा है "Our morality is always conditioned by our party interests" उनके यहां मौरेलिटी की परिभाषा एक दूसरी है। वह कहते हैं कि हमारी नैतिकता सर्वथा पार्टी के साथ सन्निहित है। हम इसको

[श्री राजनारायण]

नहीं मानते है। इस समय वे तो चले गये हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और मौरेलिटी खत्म हो जायेगी। क्या मौरेलिटी है। एक गरीब महिला है और उसके 5 बच्चे हैं। वह उन बच्चों का पेट नहीं भर पाती हैं, उनको कपड़ा नहीं दे पाती है, उनको स्कूल नहीं भेज पाती है और न उनके रहन सहन का कोई अच्छा प्रबन्ध ही कर पाती है। वह बेचारी खुजली रोग से परेशान थी और और ये 5 बच्चे उसके पति से पैदा हुए। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से बच्चा पैदा करना क्या मौरेल है। यह हमारा प्रश्न है। यहां पर जितने भी समाज विज्ञान के जानकार हैं, वे कृपया इसका उत्तर ढूंढे। मैं इस चीज को इम्मौरेल समझता हूं। मैं इसको अनैतिकता समझता हूं। ऐसे बाप और मां को बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं है, अगर वह अपने बच्चों को ठीक प्रकार से पाल नहीं सकते हैं, ठीक प्रकार से कपड़ा नहीं दे सकते हैं, स्कूल नहीं भेज सकते हैं और दुनिया की जो ऊंची से ऊंची जानकारी है, वह उसको सुलभ नहीं करा सकते हों, तो इस तरह के मां बापों को बच्चा पैदा करना एक अनैतिक बात है।

मैं इसको नैतिकता मानता हूं कि अगर एक मां जो अविवाहित मां है। अगर अविवाहित मां के पेट में कोई बच्चा पैदा हो गया और अगर वह बच्चा हृष्टपुष्ट है और वह बच्चा ज्ञान और विज्ञान की अनुभूति प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करता है, तो वह समाज को एक नया दिशा दे सकता है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के अविवाहित मां के पेट से जो बच्चा पैदा होगा, वह नैतिकता के अन्दर है। हम उसे अनैतिक नहीं मानते हैं। मैं उसे नैतिक के अन्दर मानूंगा। इसलिए यहां पर एक बड़ा सवाल आ जाता है।

श्री निरंजन वर्मा : एक नई स्मृति बनानी पड़ेगी।

(*Interruptions*)

श्री राजनारायण : यह बहस तो कल तक चलेगी। अगर मजाक करना है तो बैठ जाइये। सरकार मजाक करने के लिए इस तरह का विधेयक नहीं ला रही है। श्रीमन्, यह भारतवर्ष दुनिया के सभी प्राचीन मुल्कों में से एक है। इस मुल्क के बारे में पढ़ें और पढ़ कर उसका निचोड़ निकालें, तो उसको आप समाजवाद से भी ज्यादा अच्छा पावोगे। हमारे भूपेश गुप्त को इस तरह का समाजवाद नहीं मिलेगा। मैं माननीय सदस्यों से तथा श्री भूपेश गुप्त से कहना चाहता हूं कि वे समाजवाद की कोई भी किताब पढ़ लें, इससे बढ़ कर समाजवाद का उपदेश कहां है "समान् प्रसवात्मिका जाति" यह गौतम सूत्र का 22 वां श्लोक है। जिनकी जननी क्रिया समान हो, उनकी एक जाति है। यह एक अकाट्य सत्य है। लेकिन आजकल का जो कुटिल और पापी समाज है, वह इस चीज को काट रहा है और इसीलिए समाज में आजकल द्वेष है तथा इसी से समाज में मारकाट है। श्रीमन्, मैं इसका अर्थ आपके लिए क्या समझा दूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : We are discussing only a limited Bill.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, यह तो अनलिमिटेड बिल है।

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : We are discussing the family of man.

श्री राजनारायण : आप घबड़ाइये नहीं, मैं उसी चीज के अन्दर आ रहा हूं। मैं आपको अर्थ समझा रहा था कि जिनकी जननी क्रिया एक हो वे समान हैं। मैं इसका दूसरा अर्थ भी समझा देता हूं कि जो अपने को समान जाति का समझते हैं। जैसे एक हिन्दू है और एक मुसलमान है। अगर एक मर्द हो और एक औरत हो और उन दोनों में भोग हो तो गर्भ रहेगा और इस तरह से क्या पैदा होगा। इसके बाद बच्चा पैदा होगा, इन्सान पैदा

होगा, तो फिर इसके बाद हिन्दू मुसलमान का फर्क कहां रह गया है? इस तरह से मंदिर, मस्जिद और चर्च में क्या अन्तर है? यह मेरा सवाल है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सब लोग नालायक हैं कि जो मूल बात के अन्दर नहीं जाते हैं।

श्री निरंजन वर्मा : 'हम' शब्द का प्रयोग न करें।

श्री राजनारायण : जब हम सदन में किसी बात पर या किसी शब्द पर एक घंटा से भी ज्यादा बहस कर लेते हैं, या माननीय किसी सदस्य के बारे में बहस कर लेते हैं, तो उस समय सदन का समय नष्ट नहीं होता है। (*Interruptions*) माननीय किसी सदस्य का टर्म 1970 में खत्म हो रहा है। तो वे थोड़ा हम से इसलिए लड़ेंगे कि 1970 में उन्हें फिर से जगह मिल जाय, ताकि वह लोगों में यह असर डाल सकें कि हम श्री राजनारायण से लड़ सकते हैं। अब आप पता लगाइये कि 1970 में किसका टर्म खत्म होने जा रहा है।

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : आप श्री अर्जुन अरोड़ा का नाम क्यों ले रहे हैं।

(*Interruptions*)

श्री राजनारायण : मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। मैं तो यह कह रहा हूं कि आप इस बारे में पता लगाए कि 1970 में किसका टर्म खत्म हो रहा है।

श्री शीलभद्र याजी : आप कह रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Don't interrupt him, Mr. Yaji:<

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं महात्मा गांधी जी का एक ही वाक्य कहना चाहता हूं कि धन, पद और सत्ता का लोभ मिनिस्टरों से क्या क्या अनर्थ नहीं कराता है और यह लोभ बदतमीजी से लड़ाता है। श्रीमन्, आज हमारी दिक्कत यह है कि अगर हम अरबी, फारसी के शब्द प्रयोग करें तब ही आप बिल के मकसद को समझ पायेंगे। हम इस विधेयक की परिधि पर ही बोल रहे हैं। यही परिधि है। क्यों गर्भ अनर्थ है। आज सवाल यह आया है कि जो गर्भपात कराया जाता है क्या वह गैर-कानूनी है। आज जो विधेयक आया है, वह एक महत्व का विधेयक है और यह सारे देश और मानव समाज से संबंधित विधेयक है। यह कोई मामूली विधेयक नहीं है। यह कोई बोनस वाला विधेयक नहीं है। इतना बड़ा विधेयक हमारे मित्र श्री चन्द्रशेखर लाये हैं। हमारे कथन की गम्भीरता को मंत्री जी अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि हम उनको सहारा दे रहे हैं।

SHRIMATI YASHODA REDDY (Andbra Pradesh) : He is nodding his head also.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Now you come to the Bill.

श्री राजनारायण : हम मंत्री जी को सहारा दे रहे हैं और मंत्री जी यह कहना चाहते हैं कि जब वह इस तरह का विधेयक लाये हैं तो उसे हिम्मत के साथ लायें। हीं, हूं, करने से काम नहीं चलेगा। मैं यह बात क्यों कहता हूं। हमारे मित्र इस समय चले गये हैं। अरे, वे तो अब आ गये हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यहां पर बहुत से लोग बुद्ध भगवान का नाम लेना चाहते हैं। मगर वे बिना जाने उसका नाम लेते हैं। अगर हमें मानवता के बारे में पाठ पढ़ना है, तो हमको बुद्ध को पढ़ना चाहिये और ठीक तरह से पढ़ना चाहिये। जिस समय वाराणसी में सारनाथ के स्थान पर बुद्ध ने ब्रह्म उपदेश दिया, तो उन्होंने कहा कि सारा मानव एक परिवार है। इस दर्शन को बुद्ध ने ही प्रतिपादित किया। उस समय कुछ लोग उनके सामने खड़े हो गये और कहने लगे कि हम 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। उस समय मुसलमान नहीं थे। तो बुद्ध ने उनसे यही कहा कि यह तो मनुष्य के मस्तिष्क की कल्पना है। एक ब्राह्मण है, एक

[श्री राजनारायण]

शूद्र है, एक औरत है, एक मर्द है। जब उनका भोग होगा तो गर्भ रहेगा और फिर क्या पैदा होगा। शिष्यों ने कहा कि बच्चा पैदा होगा। उन्होंने कहा कि अगर उनका जाति भिन्न है, तो ब्राह्मण और शूद्र, मर्द और औरत के भोग से बच्चा पैदा कैसे हुआ। इसलिए उनकी जाति एक है। मनुष्य-मनुष्य की जाति एक। इस सदन के जितने सम्मानित सदस्य हैं, पहले वे इसको ठीक समझें, तभी वे हिन्दु मुसलमान और ब्राह्मण और शूद्र का रिश्ता ठीक कर पायेंगे (*Interruptions*) इसलिए मैं कह रहा था कि डा० साहब को कहूँ कि डा० साहब डरो मत। प्राचीन भारतीय देवी-देवताओं को ले लो कैसे पैदा हुए। कर्ण कहां से आया? श्वेतकेतु का क्या है। भारतीय संस्कृति के पुजारियों राजा श्वेतकेतु के बारे में पढ़ो। यह पहला राजा है जिसने एक स्त्री और एक पत्नी के सिद्धान्तको प्रतिपादित किया है। इसके पूर्व भारतवर्ष में स्त्रियां स्वच्छंद थीं। स्त्री एक, मां एक, पिता अनेक होते थे, मगर राजा श्वेतकेतु ने प्रतिबन्ध किया। जब उनके यहां एक यज्ञ हो रहा था, उनकी मां को एक ऋषि यज्ञ के बीच में ही अपने साथ लेकर चले गए, तो उसने देखा कि इसमें बड़ी गड़-बड़ है, इसलिए एक औरत और एक मर्द का सिद्धान्त बिलकुल ठीक है। ब्रह्मा और सरस्वती को देखो। हमारे मित्र वर्मा जी प्राचीन संस्कृति के जानकार हैं, वे भी जानते होंगे कि ब्रह्मा और सरस्वती का रिश्ता क्या है। कहीं पुत्री है और कहीं पत्नी है। आप विष्णु को देखो। विष्णु ने क्या किया?

श्री ए० डी० मणि (मध्य प्रदेश) : क्या रेलेवेन्स है साहब?

श्री राजनारायण : इसका रेलेवेन्स यह है साहब कि सारा सवाल शादी सम्बन्ध पर आधारित है, मर्द और औरत के सम्बन्ध पर। भारतवर्ष में जो बहुत गर्भपात के कारण हो रहे हैं, उसका कारण यह शादी सम्बन्ध है। जाति में शादी नहीं मिलती, दहेज चलता है।

श्री चित्त बासु (पश्चिमी बंगाल) : दहेज माने?

श्री राजनारायण : दहेज माने तिलक, यही डावरी सिस्टम। हमारे मित्र जी चले गए, बिहार में जिसके घर में दस बीघा खेत है, वह 50 हजार दहेज मांग रहा है। अगर दो लड़की रह गई और बाप पुराने ख्यालात का है, तो लड़की 25 साल की हो जा रही है 30 साल की हो जा रही है, शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि दहेज की प्रथा इस बुरे ढंग से चल रही है। अभी भी हमारे यहां पर्दा सिस्टम है। चाहे कितनी ही हमारे मंत्री जी दिल्ली में रंगरेलियां मना लें। लेकिन देहात में पर्दा चल रहा है, बुर्का चल रहा है। हमारे मित्र एक हैं, जिनका नाम है अकबर अली वह बुर्का के खिलाफ सार्वजनिक ढंग से बोलने की हिम्मत नहीं रखते वह हमीं हैं जो बोल सकते हैं। हमारे यहां पर बहुत मित्र हैं, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखते, सब कहते हैं कि डा० लोहिया ने ठीक कहा, लेकिन जब कहने की बात आएगी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सब मुसलमान रंज हो जाएंगे हमारा वोट बिगड़ जायगा। हम तो जो सत्य होगा वह कहेंगे और दुनिया में कोई ताकत नहीं जो हमको भय दिखा कर हमारे मार्ग से हमको च्युत करे। यह है कि कभी कभी इन्सान से गलती होती है अगर हमारे दिमाग में कोई गलत चीज बैठी हुई है, तो हो सकता है कि उस गलती को हम कहते जायें, जब तक उस गलती को सही नहीं समझ लेते, तब तक उस रास्ते पर हम चलते रहेंगे।

तो इस विधेयक के उद्देश्य को देखा जाय। इस बिल को भेज दिया जाय संयुक्त प्रवर समिति में और विचार हो कर शुद्धतः ऐसी स्थिति लाई जाय, जिसमें बिना किसी हिचक के गर्भपात को कुछ काल के लिए कानूनी स्वरूप दे दिया जाय। हमारे एक मित्र पूछते थे कि इस विधेयक के पक्ष में बोल रहे हो। अगर हम इस विधेयक के पक्ष में न होते, तो हम इसे प्रवर समिति में ले जाने की बात

न करते । जब कोई बिल को सेलेक्ट कमेटी में ले जाने का प्रस्ताव करता है, तो उसके मूल उद्देश्यों से उसकी सहमति मानी जाती है। अगर सहमति नहीं होगी, तो उसको अपोज करेगा, उसको प्रवर समिति में ले जाने की बात नहीं करेगा। मगर यहां पर न जानना भी अक्ल है, खुदा की शान है कि नाचीज चीज और बेशऊर बाशऊर बने बैठे हैं।

इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत विस्तार हुआ है और अस्पतालों का उपयोग समाज के सभी वर्ग अधिकतम मात्रा में करते हैं। मुझको इस पर आपत्ति है। आज माननीय मंत्री जी हमको कोई आंकड़ा देते हैं कि भारतवर्ष का अनुपात क्या है, कितने आदमी पर एक डाक्टर है। हमारे पास जो अपनी जानकारी है, उसके मुताबिक करीब 6 हजार पर एक डाक्टर है। अब इंग्लैंड, को देखें। इंग्लैंड में 8 आदमी पर एक बिस्तर, अमरीका में 11 पर एक और रूस में 13 पर एक, यहां आधा यानी हमारे मुकाबले में रूस में 26 गुना है, अमरीका में 22 गुना और इंग्लैंड में 16 गुना। यह औसत है हमारे अस्पतालों में बड्स का। अमरीका, इंग्लैंड और रूस में 500 आदमियों पर औसत एक डाक्टर है। तो यह कहना कि इतना विस्तार हो गया कि समाज के सभी वर्ग अधिकतम मात्रा में उपयोग करते हैं, यह वस्तु-स्थिति पर पर्दा डालना है और जनता को गुमराह करना है। कौन अस्पताल जाता है ? किसी अस्पताल में चलिए, देख लीजिए। वहां जो फटेहाल है, जो मेहनतकश हैं, जो दौलत पैदा करते हैं, उनको कोई नहीं पूछता वह बरामदे में पड़े रहते हैं। जो प्रभुताई में होंगे या जिनकी सिफारिश होगी, उनको या हम लोगों को भी कहीं जगह मिल जाय, लेकिन इन गरीब लोगों को नहीं मिलती। हम भुक्तभोगी हैं, हम जानते हैं।

इसके साथ मैं माननीय मंत्री जी से इस बात की मांग करूं कि यहां के अस्पतालों में जो गड़बड़ियां हैं, उनकी जांच के लिए जो समिति बैठाई गई थी, उस समिति की रिपोर्ट आज तक इस सरकार ने सदन के सदस्यों को क्यों नहीं दी, जिससे पता चले कि हमारे देश के अस्पतालों की क्या स्थिति है। श्रीमन्, आज मैं बहुत ही जोर के साथ और तकलीफ के साथ अपने स्वास्थ्य मंत्री से मांग करता हूं कि विलिंगडन अस्पताल में जिस ढंग से डाक्टर लोहिया का निधन हुआ, उसकी जांच करायी जाय। केवल उद्देश और कारण में दे देना कि अस्पतालों का बड़ा विस्तार हो गया और उनमें बड़ी अच्छी व्यवस्था हो गयी, इसलिए गर्भपात कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं आज इस सरकार को दोषी पाता हूं और अब हमारे पास ऐसे सबूत आये हैं, जिनके मुताबिक मैं कह सकता हूं। * * * * श्रीमन्, आज कितने खराब दिमाग के हाथों में भारत की सरकार चल रही है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप इंसान हैं। आप सोच ही नहीं सकते हो कि इंसान इतना पतित हो सकता है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हू कि क्या अंत-र्राष्ट्रीय जगत में सत्ता के लिए हत्यायें हुई हैं या नहीं ? मैं इसी तरह से कहने के लिए तैयार हूं कि श्री लाल बहादुर शास्त्री की जिन्दगी भी अपने से नहीं गयी है। उनकी भी जिन्दगी लेने की साजिश हुई है। वही डाक्टर चुग जो श्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ रूस गये थे, उसी डाक्टर चुग से मिलने के बाद डाक्टर लोग गये हैं और उन्होंने डाक्टर लोहिया का आपरेशन किया है। मैं इस सरकार को दोषी पाता हूं, मैं इस सरकार को चार्ज करता हूं * * * * और मैं चाहता हूं कि बंबई के डाक्टर शान्ति भाई से जो हमारी बातें हुई हैं और जो हमारी लड़ाई हुई है . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : अब खत्म करिये।

श्री राजनारायण : आप बोलिये मत। 12 अक्तूबर, 1967 तक बराबर मैं उनके साथ रहा। मुझे बताया गया कि डाक्टर पाठक ने आपरेशन किया है। जब सदन में जवाब हुआ तो किसी दूसरे

*** Expunged as ordered by the Chair.

[श्री राजनारायण]

डाक्टर दफ्तरी या चौधरी का नाम ले लिया गया और बताया गया कि उसने आपरेशन किया है। हम लोगों को अब सारी जानकारी हो गयी है। जानते थे यह लोग कि डाक्टर लोहिया बच नहीं सकते, क्योंकि जो चीज छूट गयीं जिसने सारे बदन में जहर पैदा किया अगर उसकी जानकारी पहले ही शान्ति भाई और दूसरे डाक्टरों को हो गयी होती, तो वह बचाये जा सकते थे। इसलिए डाक्टरों ने जो यहां के अस्पतालों में सुधार के लिए और यहां जो कमियां और खामियां रही हैं, उनके लिए जो एक रिपोर्ट पेश की है, मैं चाहूंगा कि आप उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखावें और सदन में उस पर चर्चा हो और मुझे यकीन और विश्वास है कि उसमें बहुत से डाक्टर ऐसे थे कि जो पैसे के लालच में इतने पतित नहीं हो जायेंगे कि जो गलत बात कहेंगे और हमारे नेताओं की नीयत को प्रमाणित करने के लिए आगे नहीं आयेंगे। मैं बहुत दुःख के साथ यह बात कहना चाहता हूँ। क्योंकि जगह ब जगह सारे देश में आज इसकी चर्चा हो रही है कि डाक्टर लोहिया जिस वातावरण में विलिंगडन अस्पताल में मरे उसकी जांच हो और उसके लिए एक कमेटी बैठायी जाय।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (मध्य प्रदेश): प्वाइंट आफ आर्डर।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान): आप खत्म कीजिए।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी: मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठी रही हूं। मुझे यह अधिकार है कि मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठा सकूं। मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि अगर किसी घटना के बारे में उन को इस तरह की शंकायें हैं, तो उसको वह अलग से ला सकते हैं। लेकिन जिस संदर्भ में यहां इस बिल पर विचार हो रहा है, उसी पर माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करें। अगर किसी चीज के लिए उनको कोई आपत्ति है कोई शंका है तो वे उसको अलग से ला सकते हैं। इस बिल से उनकी बात से कोई वास्ता नहीं है, कोई संदर्भ नहीं है और इसलिए वे संदर्भ से बाहर जा रहे हैं। उन्हें रोका जाये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : I think you should be more relevant.

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी: कोई विधि विधान तो कुछ है।

SHRIMATI YASHODA REDDY (Andhra Pradesh) : He was trying to make out a case. In the course of that he mentioned certain facts. So, there is no point of order.

श्री राजनारायण: एक महिला सदस्या कुछ प्वाइंट आफ आर्डर उठा कर हमारे रास्ते में रोड़ा अटकाना चाहती थी, मगर दो महिलाओं का समर्थन हमको इधर प्राप्त है।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान): अब आप खत्म करें।

श्री राजनारायण: तो मैं कह रहा था कि इधर स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत विस्तार हुआ है और अस्पतालों का उपयोग समाज के सभी वर्ग अधिकतम मात्रा में करते हैं। अतः, डाक्टरों के सामने ऐसी गंभीर रूप से रूग्ण या मरणासन्न गर्भवती स्त्रियां आयी हैं, जिनके सगर्भ, गर्भाशय, गर्भपात कराने के लिए पीड़ित किये गये और वे गंभीर रूप से क्षति ग्रस्त हो गये। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी के उद्देश्य से मैं सहमत हूं कि गर्भपात को कानूनी रूप दिया जाय। साथ साथ मैं इसकी मांग करने वाला हूं कि उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाय। अगर बेचारी असहाय महिलाओं को ऐसे अयोग्य डाक्टरों के हाथ में छोड़ देंगे डाक्टर चंद्रशेखर तो उनकी क्या स्थिति होगी। जब यहां के डाक्टर, डाक्टर लोहिया जैसे व्यक्ति के साथ, जो कि यहां ही नहीं, विश्व में अपना एक स्थान रखते थे ऐसा व्यवहार किया, तो इन महिलाओं का क्या होगा। मैं आज अपनी इस आवाज को बुलन्द करना चाहता हूं कि इस सरकार के बहरे कानों में हमारी आवाज पड़े और यह विश्व के कोने कोने में जाय * * * *

मैं कहना चाहता हूं कि डाक्टर चुग से मिलने के बाद उन डाक्टरों ने डाक्टर लोहिया का आपरेशन किया है। यह डा० चुग

वही हैं, जिनके लिये डा० लोहिया ने लोक सभा में सवाल उठाया था कि डा० चुग श्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ थे और इस डाक्टर ने ठीक तरह से अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। (*Interruptions*) इसलिये श्रीमन्, मैं बहुत ही दुःख और तकलीफ से, आज दोनों स्वास्थ्य मंत्री यहां बैठे हैं, उनसे कह रहा हूं कि वह इस बात को अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिये एक जांच कमेटी बिठलायें। गांधी जी की हत्या हुई, जब हम लोग कहते थे कि गांधी जी की हत्या होगी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे, मगर जांच कमिशन की रिपोर्ट आ गई। सरकार को जानकारी थी। इसी तरह से अगर डा० लोहिया के बारे में कोई जांच कमिशन बैठेगा, तो हम सत्य सिद्ध होंगे और यह देश जानेगा कि यह सरकार किस ढंग से पापपूर्ण तरीका अख्तियार कर के अपनी गद्दी को सुरक्षित करना चाहती थी।

[*Time bell rings*]

श्रीमन्, थोड़े से शब्दों में मैं अपनी बात अर्ज करना चाहता हूं। पता नहीं क्या आप अकुलाहट में हैं। आज तो हमारी दया-दृष्टि चेयरमैन के ऊपर है। बड़का चेयरमैन बैठे थे, हमने उनकी स्थिति देखी, अब आप भी बिलकुल दयनीय स्थिति में पड़ रहे हैं, इसलिये मैं आपके ऊपर . . .

एक माननीय सदस्य : दया करता हूं।

श्री राजनारायण : दया क्या करूं, लेकिन मैं आपकी मजबूरी को समझता हूं, इसलिये मैं आपको फिर एक शिक्षा दे कर कह रहा हूं कि हमारे डा० लोहिया का निधन जिस संदेहास्पद वातावरण में हुआ है, उसके लिये एक जांच कमिशन बैठाने की मांग को आप सरकार से स्वीकार करावें।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक के उद्देश्य के साथ हूं और चाहता हूं कि यह विधेयक खोखले रूप में न आये, केवल एक लिबलिबा या लीपापोती वाला विधेयक न बने।

श्री मान सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह विषय जो यहां आया है, वह विषय बड़ा गम्भीर है और मैं समझता हूं कि उस पर बड़ी गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

श्रीमन्, प्रत्येक देश की अपनी परम्परायें होती हैं, प्रत्येक देश की अपनी मान्यतायें होती हैं, प्रत्येक देश के अपने रीतिरिवाज होते हैं, प्रत्येक देश की अपनी संस्कृति होती है, तो जो उसकी पृष्ठ भूमि होती है, जिन मान्यताओं पर राष्ट्र खड़ा रहता है। उन मान्यताओं का अध्ययन कर के ही और उस प्रकार की मान्यताओं को मानने वालों की संख्या का ध्यान कर के ही कोई विधेयक आना चाहिये और मैं यह समझता था और मेरा यह सुझाव था कि इस बिल को पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजना चाहिये था। इस प्रकार के बिल जो कि सीधे तौर पर उन मान्यताओं पर आघात करते हों या उन मान्यताओं को छूते हों जो कि आज तक प्राचीन काल से हम मानते चले आ रहे हैं, ऐसे बिलों को आसानी से सदन में ला कर, पेश कर के, पास करवा लेना और कानून बना देना मैं समझता हूं कि जनहित में नहीं है, इसके लिये आवश्यकता थी कि यह बिल जनता के सामने जाता और जनता की राय मांगी जाती और उसके बाद यदि आवश्यकता होती, तो उसके अनुसार बिल लाया जाता।

श्रीमन्, इस बिल को देख कर ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी ने चोर दरवाजे से इस बिल को लाने की कोशिश की है, वैसे तो इसमें जो कुछ भी धारायें दी हैं, उनके लिये कहा गया है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि आवश्यकता होगी, तो गर्भावसान किया जा सकता है, किन्तु मैं जानता हूं कि आज भी जब स्त्री गर्भवती होती है, उसका गर्भ पूरा नहीं हो पाता, उसको कष्ट हो जाता है और उस कष्ट के कारण उसकी मृत्यु तक की नौबत आ जाती है, तब डाक्टर्स यह राय देते हैं कि इस बच्चे को निकाल देना आवश्यक है और वह बच्चा निकाल दिया जाता है। उस स्त्री की जीवन रक्षा के लिये आज भी ऐसा होता है, तो फिर उसके लिये नये बिल को लाने की क्या आवश्यकता थी। यह बिल लाया जा रहा है, यद्यपि उन्होंने यह बात

[श्री मानसिंह वर्मा]

कही नहीं है कि यह बिल फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन के लिये है—परिवार नियोजन की योजना को बल देने के लिये ही । ठीक है, मैं परिवार नियोजन के विरुद्ध नहीं हूं, परिवार नियोजन होना चाहिये, प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि अपने परिवार को सुनियोजित करे, उसके लिये जो नैतिक साधन हैं उनको वह अपनाये और उनके द्वारा भी परिवार नियोजन हो सकता है । उस विषय पर मैं विवरण के साथ नहीं जाऊंगा, किन्तु मुझे ऐसी शंका है कि जिस प्रकार की धारायें इस बिल में दी गई हैं, वे धारायें उसी प्रकार से पास की गई, तो उनसे व्यभिचार बढ़ेगा ।

श्रीमन्, हमारी संस्कृति में सबसे अधिक बल इसी बात के ऊपर दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्रम्हचर्य का पालन करना चाहिये, इस पर तो इतना कुछ कहा गया है कि मैं यह समझता हूं कि किसी अन्य देश की संस्कृति में वह बात मिलती नहीं है । हमारे यहां कहा गया है :

ब्रम्हचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत

ब्रम्हचर्य के बल से मनुष्य ने मृत्यु को जीता है, मृत्यु से उसको बचाया जा सकता है । प्रारम्भिक काल से, जब से कि बच्चा शिक्षा संस्था में जाता था, तब से सबसे बड़ी शिक्षा इस बात की दी जाती थी कि वह एक अवधि तक जब तब तक कि गृहस्थ में नहीं जाता है ब्रहचर्य का पालन करेगा और गृहस्थ में जाने के पश्चात् भी उसको ब्रम्हचर्य का साधन बनायेगा । तो जिस संस्कृति में इस पर इतना बल दिया गया है कि जवान होने पर सगे भाई और बहन एक कमरे में न बैठें, न सोयें, जिस देश की बहुसंख्यक जनता इन मान्यताओं को मानती है, ऐसे देश के अन्दर, ऐसे राष्ट्र के अन्दर इस प्रकार का बिल लाना, इस प्रकार की धाराओं को लाना उचित नही । श्रीमन् जहां पर स्वास्थ्य की बात है, उसमें तो मैं नहीं कहता कि कानून नहीं होना चाहिये, किन्तु मैं यह कहता हूं कि इसमें एक धारा यह है :

"No pregnancy of an unmarried woman who, being above the age of eighteen years, is a lunatic, shall be terminated except with the consent in writing of her father or of her guardian, if her father is not alive.

इसका अर्थ स्पष्टतः यह हुआ कि कोई भी जवान लड़की जिसकी उम्र 18 वर्ष की हो चुकी है, स्वस्थ है, वह जब चाहे तब गर्भविसान करा सकती है । श्रीमन्, यह एक खतरनाक धारा है । मैं तो ऐसा समझता हूं कि देश के अन्दर जब से स्वतंत्रता आई है, तब से जिस प्रकार की हमारे बच्चों को शिक्षा मिल रही है, जिस प्रकार का समाज का वातावरण हो रहा है, जिस प्रकार के चलचित्र हमको दिखाये जाते हैं, जिस प्रकार का साहित्य यहां पर चल रहा है, जिस प्रकार की पुस्तकें—नग्न पुस्तकें—बाजार में उपलब्ध हैं, उन सब का असर आज क्या हो रहा है कि व्यभिचार बढ़ता चला जा रहा है और जब इस प्रकार की धारायें यहां आ जायेंगी तो उस समय क्या होगा ? मैं समझता हूं कि जो लोग यहां यह कहते हैं कि हमें लिबरल होना चाहियें । उनसे मैं दावे के साथ कहूंगा कि वह कभी भी यह बर्दाश्त नही कर सकते कि उनकी लड़की कहीं पर जिना कराये और वह अनैच्य रूप से किसी लड़के से मिले । कोई उसको पसन्द नहीं करता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि यहां सदन में आकर खड़े हो कर ऐसी बातों का वह साथ देते हैं । आज विदेशो में जिस प्रकार की छूट मिली हुई है, हमने सुना है, हमने पढ़ा है, हमारे मित्रगण जो गये हैं, उन्होंने बताया है कि हाइड पार्क में हमने क्या देखा कि लोगों के सामने मर्द लड़कियां को लिये पड़े रहते हैं, तो यह कितनी शर्म की बात है, लज्जा की बात है, हमारे देश में कभी इस बात को बर्दाश्त नही किया जा सकता, किन्तु श्रीमन्, हमें इस बात को कहते हुये दुःख होता है कि 22 वर्षों के अन्दर इस प्रकार की नग्नता, इस प्रकार के व्यभिचार को बढ़ावा मिला है । एक तरफ तो हम संस्कारों को ठीक करने की कोशिश करते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि अच्छे आचरण वाली संतान पैदा हो, अच्छे नागरिक बन कर

[श्री राजनारायण]

लोग निकलें और एक तरफ व्यभिचार को बढ़ावा देते हैं, इससे तो परिवार-नियोजन होने वाला नहीं है, इससे तो व्यभिचार बढ़ेगा, घट नहीं सकता। जिस लड़की को किसी ने रेप कर दिया, जिस पर बलात्कार हुआ, उसका तो कोई कसूर नहीं है, उसकी मर्जी के खिलाफ किया गया है, उसके लिये आप एक कानून बनायें, उसको मैं मान सकता हूं, किन्तु आज स्थिति क्या है ? विशेष रूप से हमारी जवान लड़कियां रोमांस के कारण से, लव-अफेयर्स के कारण से, प्रेम प्रलाप जो होता है, जिसकी आजकल खुली छूट है, जो फैशन बढ़ रहा है, जो शिक्षा दी जा रही है, उनके कारणों से गर्भवती हो जाती हैं, ज्यादातर गर्भपात उसके कारण से होते हैं, बलात्कार के कारण से नहीं होते। आप एक लिस्ट बना कर देखिये कि कितने गर्भपात बलात्कार के कारण से होते हैं और कितने इल्लीगल, अवैध संबंधों के कारण, तो आपको पता चल जायगा। यह केवल इसी कारण से होता है कि जो शिक्षा हमारे बच्चों को दी जा रही है वह ठीक नहीं है और यह जो माननीय मंत्री जी का बिल है, उसमें उसी प्रकार के लड़के लड़कियों को छूट होगी। श्रीमन्, आज तो थोड़ा बहुत डर रहता है, भय रहता है और उस भय के कारण से थोड़ा मामला रुका हुआ है मिलते हुये थोड़ा घबराते हैं, किन्तु जब यह छूट हो जायेगी तो फिर क्या बात है, फिर तो खुली छूट है और मैं समझता हूं कि उस समय जानवर और इंसान में कोई अन्तर नहीं रह जायेगा। मैंने एक बात कही कि मान्यतायें होती हैं, समाज अपने लिये कायदे कानून बनाता है। अभी मुझसे पूर्व माननीय राजनारायण जी बोल रहे थे, वह उठ कर चले गये, जो ज्यादा बोला करते हैं उनकी आदत होती है कि किसी दूसरे की बात नहीं सुनते और वह स्वयं भी यहां से चले गये हैं, उन्होंने कहा कि नैतिकता क्या चीज होती है, एक विवाहित लड़की से, स्त्री से, गरीब औरत से, बच्चा पैदा होता है तो वह इम्मारल है और अगर एक अविवाहित लड़की से पैदा होता है तो वह मारल है; क्योंकि वह स्वस्थ है। अगर वह होते तो मैं उनसे डाइरेक्ट प्रश्न करता कि क्या वह इस कानून को अपने घर में लागू कर सकते हैं। नहीं कर सकते, बिलकुल नहीं कर सकते। इस प्रकार के कानून यदि आयेंगे तो, श्रीमन्, हमारा देश तबाह हो जायगा, बर्बाद हो जायगा।

हमारे यहां भ्रूण हत्या, गर्भ को समाप्त कर देना, गर्भ गिराना यह ब्रह्म-हत्या के बराबर माना गया है, जो व्यक्ति को मार दिया जाता है, उससे भी अधिक पाप इसको माना गया है।

श्रीमती सरला भदौरिया (उत्तर प्रदेश) : यह हत्या का पाप अब पूरे समाज में चलता है। महर्षि दयानन्द तक की हत्या की गयी थी।

4 P. M.

श्री मान सिंह वर्मा : बहिन जी, कम से कम आपको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिये; क्योंकि ...

श्रीमती सरला भदौरिया : नहीं, महर्षि दयानन्द की हत्या की बात मैं कह रही हूं।

श्री मान सिंह वर्मा: बहुत मुश्किल हो जायगी।

श्रीमती सरला भदौरिया : मैं तो इसलिये कहती हूं कि आपने उदाहरण दिया कि ब्रह्मचर्य से मृत्यु तक को जीता जा सकता है। लेकिन महर्षि दयानन्द ब्रह्मचारी थे, उनको भी मृत्यु ने नहीं छोड़ा, बल्कि उनकी हत्या हुई।

श्री मान सिंह वर्मा : किसने नहीं छोड़ा।

श्रीमती सरला भदौरिया : क्या उनको विष पीस कर के नहीं दिया गया, क्या उससे उनकी हत्या नहीं हुई ? उनको कहां जीवन दान मिला ? अगर राजनारायण जी ने कोई बात पापुलेशन के विषय में कही है तो ठीक ही कही है, समाजवाद के प्रसंग में कही है।

श्री राजनारायण : क्यों क्या बात हुई ?

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : वह कह रहे थे अपने घर में क्या आप एप्लाई करेंगे यह कानून।

श्री मान सिंह वर्मा : मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस प्रकार की जो धाराएं डाली गई हैं उनसे मुझे भय है कि यौन विचार बढ़ तो रहा ही है, किन्तु उसको और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, तो उसको रोकने का आपने प्रयास क्या किया। अगर आप चाहते हैं कि फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन, करने के लिये इस प्रकार से एबार्शन को रेगुलराइज कर दिया जाय, तो मैं समझता हूं कि आप उस चीज को और बढ़ावा दे रहे है। वैसे तो मैं जानता हूं, फैमिली प्लानिंग के लिये जहां जहां, जिन जिन देशों में एबार्शन को रेगुलराइज किया गया है, वहां भी इसको सफलता नहीं मिली है। श्रीमन्, अपने देश में मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी कन्ट्रोल उस समय तक सफल नहीं हो सकता, जब तक कि व्यक्ति सैल्फ कन्ट्रोल नहीं कर सके। इन द एबसेन्स आफ सैल्फ कन्ट्रोल आल अदर कन्ट्रोल्ज फेल। लेकिन सैल्फ कन्ट्रोल की शिक्षा कहां दी जाती है, आत्म संयम की शिक्षा कहां दी जाती है? उसको ढीला किया जा रहा है, उसको समाप्त किया जा रहा है। तो मेरी यह आपत्ति है कि जिस प्रकार से यह बिल लाया गया है पहले तो वह पब्लिक ओपीनियन के लिये जाना चाहिये था और यदि पब्लिक ओपीनियन के लिये नहीं जा रहा है, प्रवर समिति के लिये जा रहा है, तो मैं उसका विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति में भी जा रहा है, तो वहां भी इस बात की कोशिश होनी चाहिये कि उसमें जनता की राय जानने के लिये अधिक से अधिक जनता के प्रतिनिधि उसमें बुलाये जायें, हर सेक्शन के लोग बुलाये जायें और उनको एग्जामिन किया जाय, उनकी राय मालूम करनी चाहिये। मैं समझता हूं प्रवर समिति का यह भी कर्तव्य होना चाहिये कि कि समाचारपत्रों के द्वारा एक अभियान चला कर जनता की प्रवृत्ति जानने की कोशिश करे कि जनता क्या चाहती है। श्रीमन्, इस बिल में क्लाज 3/2 बी में है कि :

"not less than' two registered medical practitioners, acting tor where the length of the pregnancy exceeds twelve weeks but does not exceed twenty weeks."

तो यह 20 हफ्तों का समय क्यों रखा गया, यह मैं नहीं समझ पाया अभी तक। क्या इसका मतलब यह है कि 20 सप्ताह के पश्चात्, यदि प्रेगनेन्सी रह गई है, तो फिर किसी भी कायदे से उसको नहीं गिराया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता है। प्रगनेन्सी नहीं टर्मिनेट की जा सकती है क्या? फर्ज कीजिए 20 सप्ताह के बाद भी उसकी लाइफ पर, उसकी जान पर आ बनी है, तो उसकी जीवन रक्षा के लिये . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : वर्मा जी, उसका कानून अलग है। जीवन बचाने के लिये मौजूदा पीनल कोड में भी है।

श्री मान सिंह वर्मा : दूसरी चीज, जो यह एक्सप्लेनेशन दिया है, उसके बारे में मुझे कहना है :

•'Where any pregnancy occurs as a result of failure of any device used by any married woman or her husband for the purpose of limiting the number of children the anguish caused by such un wanted pregnancy may be presumed to constitute a grave injury to the mental health of the pregnant woman."

तो श्रीमन्, इसमें यह निश्चित करना बड़ा मुश्किल हो जायेगा कि वे डिवाइसेज यूज किये गये हैं या नहीं किये गये हैं। इसके लिये क्या कुछ प्रमाण होंगे? या फिर क्या उसका डिक्लेरेशन ही काफी होगा कि मैंने सारी डिवाइसेज यूज कर ली हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसका एक मतलब यह होगा कि आपकी आज तक की जो डिवाइसेज हैं वे सब फेल हो गई और उनसे काम नहीं चलता और वह यह कहने पर मजबूर होगा कि मैं तो सब कुछ कर चुका, कुछ होता नहीं है, एज ए लास्ट रिज़ोर्ट अब ऐसा कर दिया जाये। तो इसको देखने की आवश्यकता है।

दूसरी बात, मैं यह चाहता था, जैसा कि मैंने इसमें पहले ही जिक्र किया है कि इस कानून में अनमेरीड वूमेन जो कि अट्ठारह वर्ष से ऊपर

उम्र की है, उसके लिये धारा को इस प्रकार का बनाया जाय कि जिससे व्यभिचार को बढ़ावा न मिले और ऐसा न लगे कि हमारे देश की जो जवान और वयस्क लड़कियां हैं उनको मानो लिबर्टी मिल गई हो, छुट्टी मिल गई हो इस व्यवस्था से। बहरहाल इस प्रकार की छुट्टी को रोकने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कथन को समाप्त करता हूं और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जिन जिन बातों का मैंने उल्लेख किया है उनके साथ साथ हमारे देश की मान्यताओं और परम्पराओं का भी ध्यान करके इस बिल को भली प्रकार से लाने की कोशिश करें।

SHRIMATI SHAKUNTALA PARANJPYE (Nominated) : I congratulate the Governmei t, Sir, on having brought this Bill t > this House. The question of abortions in our country is a problem which is now i hundred year old and it was high time that a reappraisal of the legal basis wa made. I am very glad that the Gove; nment have come out with it.

Sir, here I vi ould like to question the Minister, anc perhaps my friend, that I do not thinl that this measure for termination of pi - ignancy is in any way a measure for birth control because, I shall tell you f pregnancy is terminated today within t week the pregnancy can again be ther<;. And how often a pregnancy is to be terminated so that it can be a measure of birth control? I have always said it in this House and outside and I think it s not quite right to say that it is a mea sure to control the population which is i reating so many problems.

There is no o te in the House who consider this populat on problem as a serious danger to thi country more than I do. But I cannot iook upon this measure as a birth control measure. It certainly is a social measure It all eviates many of the problems that families land themselves into and so on and so forth. But I will never look u >on it as a birth control measure. .

Again, it is said, Sir, that by legalising abortions you vill reduce the incidence of illegal abortions. Here I would like to quote some figures from this report on legislation on abortion, the Shantilal Shah Committee report. Here I would like to point out thai even in Japan when the practice of abortion was at its peark there were as many illegal abortions as those registered. But the illegality in this case had the connotation of abortions being performed without the aid of authorised doctors. So, Sir, even if we make the Bill into an Act and put it on the Statute Book, I do not think illegal aborltons will be reduced. The reason is obvious because this Bill, when it is passed, will require so many formalities to be gone into so many papers to be filled in, so many things to be registered and so on so forth, that the woman who has got into difficulty will not have recourse to the measures provided for in this Bill. Therefore, I do not think this measure in any way or greatly is going to alleviate the problem of illegal abortion.

Again, Sir, I think one of our Members mentioned I think it was my friend, Mr. Rajnarain that thei e are so few doctors in the country.

So, if the doctors' services are going to be utilised for the purpose of terminating pregnancies in this country, Sir, where we have already far few doctors, our poverty in medical advice will be further accentuated. I am not opposing the Bill, but this thing has to be taken into account.

Again, Sir, I do not think that the Bill has at all made it anywhere clear—-if I have not seen it, the Minister may point it out—whether these operations are going to be free for fees are going to to be charged. If they are going to be free, there will be another added burden on the Exchequer. So all these points must be well thought of. And the important point that I am going to make is that in order that repeated obortions should not be asked for, I think it is very very necessary that abortion or termination of pregnacy should be effected only if the woman agrees to undergo sterilisation after the termination of that pregnancy. That will completely solve the problem of further terminations of pregnancy. Of course, I will add a proviso—provided she has already two living children." If as is provided in this Bill, a girl below 18 years is relieved of pregnancy, I do not say that she should be sterilised because that is an abnormal case. But in the case of a woman where contraceptive devices have failed and she has recourse to the termination of pregnacy, I think

[Shrimati Shakuntala Paranjpye] it ought to be made incumbent on her that she agrees to undergo sterilisation .after the termination of that particular pregnancy.

Now, I would like to answer some of the questions raised by my friends. My friend, Mr. Man Singh Varma, said that this Bill has no,* been publicised, people had not been consulted, it had not gone to the public, and so on. I would like to point out to him.Sir that there is a list in this Report *ol'* the Shantilal Shah Committee on Page 161 as to the number of questionnaires that were received after being answered. The number of questionnaire received filled from Members of Parliament and State Assemblies is only nine. That only shows how indifferent we are. It is only when the question comes up before the House that we oppose it, that we talk about this, that and the other. It is only nine miserable—shall I say or is it unparliamentary—members who have cared to reply to chis questionnaire sent by the Shantilal Shah Committee on the question of legalisation of abortion. There are other people also whose advice was sought and whose opinion was considered. Here is a whole list of officers of Central and State Medical Health Directorates, Principals and Professors of medical colleges, Superintendents of Hospitals . . . • THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : You need not read.

SHRIMATI SHAKUNTALA PARANJPYE : . . . and so on. So elucidation of public opinion has been done in abundance, and that is another reason, Sir, why I oppose the amendment which suggests that this Bill should be sent for elucidation of public opinion. This Committee was appointed in 1964, and the Bill is before us towards the end of 1969. Elucidation of public opinion, as I have said, has been done, I won't say *ad nauseam* but in abundance, and there is no necessity for it to go for elucidation of public opinion any more. Thank you.

श्री मान सिंह वर्मा : आपने अभी कहा कि पब्लिक ओपीनियन ले ली गई है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप पब्लिक की वह आम राय है कि एबार्शन को लीगेलाइज्ड कर दिया जाय ? What is the public opinion here?

DR. S. CHANDRASEKHAR : May I interrupt for a minute? I would like to assure Mr. Varma that we have sent the proposals to a variety of institutions •and individuals. Since every Member is repeating this, I may say that we have sent it to the 17 Chief Ministers and the heads of the 11 Union Territories. We have sent it to the 17 Health Ministers. We have sent it to institutions like the 92 medical colleges, their Principals and Deans. We have sent it to the Directors of Medical Services. We have sent it to the Deans of Public Health. We have sent it to all the organisations where women are involved, where medical women are involved. We have sent it to newspaper editors. We have circulated it to all the Members of Parliament, in both House.;, and members of the State Assemblies and Councils and to a number of people who volunteered to give opinion. This has been going on for six long years and we have files this high. Besides, a lot of people who are interested in this matter and whom we did not know were interested, have written to us, have written articles and letters to the Press. The consensus out of all this—of course, there are criticisms and disagreements—is that the country is in favour of this measure.

श्रीमती पुष्पाबेन जनार्दनराय मेहता (गुजरात) : उप सभाध्यक्ष महोदय, इस बिल के संबंध में जो चर्चा चल रही है, उसको मैं सुन रही हूं । मैं यह बात जानती हूं कि यह बिल सामाजिक तौर पर एक क्रान्ति लाने वाला बिल है। हमारा मौरल, हमारा स्टैन्डर्ड और हमारे समाज का ढांचा क्या है, इसके लिए हम चिन्तातुर हैं।

यह बिल स्त्रियों के लिए सामाजिक आरोग्य परिस्थिति में जो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसको दूर करने के लिए रखा गया है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में जब कोई भी नया विचार आता है तब हम सोच में पड़ जाते है और उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आज हमारे सामने जो बिल आया है, उसको मैंने पढ़ा है और पढ़ने के बाद तीन चार प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं । एक तो प्रश्न यह है कि लेजिटिमेट मदर क्या है। आप जानते हैं कि हमारे देश में कभी

कभी किसी तरह का अत्याचार होता रहता है, कभी अपहरण होता है, कभी स्त्री के ऊपर जुल्म होता है और इस तरह से जिस स्त्री का गर्भ रहता है, बच्चा होने के बाद उसको सम्भालने और उसका पालन पोषण करने में उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आज इस बिल में इस प्रकार की व्यवस्था है कि अगर किसी स्त्री का बच्चा होने को है, तो वह तीन महीने पहले गर्भपात करा सकती है।

मैं जानती हूं कि आज हमारे समाज में इल्लीजिमेट चिल्ड्रन बढ़ रहे हैं। सन् 1958 में अहमदाबाद में जो सोशल एन्ड मौरल हाइजीन कान्फ्रेंस हुई थी, उसमें मैंने एक प्रस्ताव किया था कि एबार्शन शुड भी लीगेलाइज्ड। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में अनवारिस बच्चों के बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। विश्वामित्र और मेनका द्वारा शकुन्तला का जन्म हुआ। लेकिन विश्वामित्र ने कह दिया कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूं। मेरे भाई मुझे इस बात को कहने के लिए माफ करेंगे; क्योंकि आज हमारे देश में जो अनवारिस बच्चे हैं, उनका पिता बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज हमारे समाज में इस तरह के स्त्रियों के जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनकी दशा बहुत ही दयनीय है। मैं 30 साल से इस क्षेत्र में काम कर रही हूं और कई तरह के आर्गेनाइजेशन चला रही हूं। मैं इस क्षेत्र में रात दिन काम करती हूं। इस तरह की स्त्रियां आदमियों के फंदे में फंस जाती हैं अनआथराइज्ड ढंग से इल्लीगल एबार्शन कराती हैं। इस तरह के जो कैसेज होते हैं वे काफी संख्या में होते हैं और एक साल में कितने होते हैं, यह भी मैं बतला सकती हूं। आजकल डाक्टर और दाइयां इस तरह एबार्शन कराने के लिए तरह तरह की दवा-इयां देते हैं। मेरे पास इस तरह के 200 या 200 दृष्टान्त मौजूद हैं और मैं उन्हें देने के लिए तैयार हूं। आज स्त्री का जीवन परेशान है। स्त्री को बांधकर एक कोने में बिठलाकर बड़ी कठिनाई का समय काटना पड़ता है। आप जानते हैं कि माता पिता और उसके रिश्तेदार तथा सगे संबंधी उसके पास नहीं आते और वे उस स्त्री से कहते हैं कि तूने तो हमारा काला मुहं कर दिया है। सामाजिक प्रतिष्ठा और मान का प्रश्न उनके लिए बड़ा गहरा हो जाता है। मैं सोचती हूं कि एबार्शन लीगेलाइज्ड होने से उस स्त्री की जिन्दगी बच जायगी, जो सारी दुनिया की कठिनाइयां उस स्त्री पर आती हैं उनसे वह बच जायगी। इसलिए मैं कहती हूं कि अब लीगेलाइज्ड एबार्शन की जरूरत है। यह बात नहीं है कि हमारे यहां इल्लीगल एबार्शन नहीं होते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन हमारे यहां स्थिति यह है कि हम सच बात विचारने को तैयार नहीं हैं। आज जो नग्न सत्य है, जो परिस्थिति है, उसका मुकाबला करने को हम प्रस्तुत नहीं हैं। सामाजिक क्रान्ति या सामाजिक सुधार के विचार को पेश करने में हमारे दिल में खटक आती है और इसलिए हम कहते हैं कि वह करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूं कि क्या कारण हैं। यह स्टर्लाइजेशन आफ अनफिट बिल भी इधर-उधर घूम रहा है। शांतीलाल शाह कमेटी की एबार्शन को लीगेलाइज करने की रिपोर्ट अभी तक टेबल पर नहीं रखी गई। उसकी कापियां हमारे पास आ चुकी हैं, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। यह पोलि-टिकल बिल नहीं है, यह इकानामिक बिल नहीं है, यह सामाजिक दृष्टि से अमल करने का एक तरीका है। म सोचती हूं कि यह प्रश्न हमारे सारे जीवन को खा रहा है। मैंने देखा है कि बहुत सी औरतें एबार्शन का प्रयत्न करने के बाद इंडियन पीनल कोड के द्वारा पकड़ी जाती हैं। मां, सास या सगे सम्बन्धी दवा देते हैं, लेकिन सजा उस औरत को होती है। बाल हत्या होती है, तो बाल हत्या के कारण से भी उसको जेल जाना पड़ता है, शर्म से मुंह नीचा करना पड़ता

[श्रीमती पुष्पाबेन जनार्दनराय मेहता]

है, कोई उसको अपनाने को तैयार नहीं होता। मेरे पास बहुत से केसेज हैं। मेरे दिल में दुःख होता है कि समाज स्त्रियों के लिए कभी सोचता नहीं है। इसलिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि यह बिल सलेक्ट कमेटी में देने की कोई जरूरत नहीं है। अभी माननीय सदस्य ने बताया कि लीगेला-इज्ड एबार्शन के लिए शांतिलाल शाह कमेटी का क्वेश्चनेयर आया, उसके लिए ज्वाइन्ट कमेटी बैठी, सालों उस पर विचार हुआ, उस पर अमल नहीं है। यह प्रश्न को बाजू में रखने की बात करते हैं कमेटी बना कर। यह कमेटी न बनाई जाय और यहीं राज्य सभा में इस बिल पर चर्चा होनी चाहिए और इसे जल्दी पास करना चाहिए।

जो आज तकलीफ है वह खत्म होनी चाहिए और एबार्शन को लीगेलाइज करना चाहिए। मैं जानती हूं कि कठिनाइयां हैं। लोग समझते हैं कि इस काम से समाज की संस्कृति का नाश हो जायेगा। वह सोचते हैं कि जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि समाज क्या है, हम जानते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, हम जानते हैं कि हमारा धर्म क्या है, नीतिमत्ता क्या है। नीतिमत्ता के बहाने पर यह जो समाज का कार्य है यह बाजू पर नहीं रख सकते। इसलिए, मैं चाहती हूं कि जो हमारे दिल में शंका है, जो मुश्किलें हैं उनको बाजू पर रख कर जो बिल है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। मैं जानती हूं कि इसका थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म होगा। इससे जो हमारा काम है वह पूरा नहीं होने वाला है। इसलिए, मैं विनती करती हूं और निवेदन करती हूं कि यह बिल पास कर देना चाहिए।

मेरा सुझाव है कि इस बिल में जो बहुत से कालम हैं, उन पर हमें सोचना चाहिए। आप जानते हैं कि यह सोशल वर्क है पोलिटिकल वर्क नहीं है, इसलिए जो वर्कर्स हैं उनका इसमें स्थान होना चाहिए। इसमें डाक्टर्स को सत्ता दे दी है। शांतिलाल शाह कमेटी में सोशल वर्कर को रखने का जो सुझाव है वह ले लेना चाहिए। अखिर में मैं यह कहती हूं कि यह प्रश्न हमारी बहिनों के शरीर और मन को बड़ा कष्ट देने वाला है, सोशल वर्क के रूप में इसको लेने को हम सोच रहे हैं, इस पर अमल के बारे में सोचा जाय, तभी बिल पर अच्छी तरह से अमल हो सकेगा।

श्री मान सिंह वर्मा : मैं अपनी बहिन से एक प्रश्न करना चाहता हूं। लीगल प्रेगनेन्सी वह होती है जो लीगल मैरिड हसबेन्ड के द्वारा होती है। इसके अलावा प्रेगनेन्सी जो होगी, वह इल्लीगल प्रेगनेन्सी होगी। अगर अब एबार्शन को लीगेलाइज कर दिया जायगा तो उस बहन का समाज में दर्जा क्या होगा, क्या उसमें अन्तर पड़ जायगा ?

श्रीमती पुष्पाबेन जनार्दनराय मेहता : उपसभाध्यक्ष जी, यह प्रश्न है कि एबार्शन करने के बाद क्या परिस्थिति होगी। मैं यह सोचती हूं कि जो बिल में प्रोवाइडेड है, 3 महीने के पहले हो सकती है। मैं आपको दावत देती हूं, मेरे साथ चलिए, इल्लीगल प्रेगनेन्सी बर्दाश्त करने वाली स्त्रियों की क्या परिस्थिति होती है। वह कुटुम्ब से निकाल दी जाती है, उसके बच्चों की ओर कोई ध्यान नहीं रखता। जो छोटी लड़की है 12, 13 या 14 साल की प्रेगनेन्सी के बाद उसका क्या नतीजा होता है, यह उसको देखकर समझ में आएगा, आंखों से देखना चाहिए, कानों से सुनना नहीं चाहिए।

STATEMENT BY PRIME MINISTER

MEETING OF FOUR SENIOR OFFICERS OF THE FINANCE MINISTRY WITH SHRI T. T. KRISHNAMACHARI

THE PRIME MINISTER, MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF PLANNING (SHRIMATI INDIRA